भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3339

उत्तर देने की तारीख 20.03.2025

जनश्री बीमा योजना

3339. **श्री थरानिवेंथन एम. एस.:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खादी कारीगरों के लिए जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) का ब्यौरा क्या है तथा तमिलनाडु में अब तक इस योजना से लाभान्वित हुए कुल खादी कारीगरों की संख्या कितनी है;

(ख) तमिलनाडु में उक्त योजना के अंतर्गत खादी कारीगरों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा यह योजना उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण का किस प्रकार से विशेष रूप से समाधान करती है;

(ग) तमिलनाडु में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त योजना के अंतर्गत खादी कारीगरों में जागरूकता बढ़ाने तथा पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उक्त योजना तमिलनाडु में खादी कारीगरों की आर्थिक सुरक्षा तथा कल्याण में, विशेष रूप से दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं अथवा असामयिक मृत्यु की स्थिति में, किस प्रकार से योगदान करती है; और

(ङ) क्या तमिलनाडु में खादी कारीगरों के लिए उक्त योजना के लाभों का विस्तार करने अथवा उन्हें बेहतर बनाने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो इसमें क्या परिवर्तन प्रस्तावित हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ): केवीआईसी ने 15 अगस्त 2003 को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सहयोग से 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के कारीगरों के लिए खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना नाम से खादी कारीगरों के लिए एक समूह बीमा स्कीम का शुभारंभ किया। इस स्कीम की वार्षिक बीमा-किस्त प्रति लाभार्थी 100 रुपये था। प्राकृतिक और दुर्घटनावश हुई मृत्यु और विकलांगता के प्रति स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता निम्नानुसार थी:

1.	मृत्यु (दुर्घटनावश)	75,000/- रु.
2.	मृत्यु (प्राकृतिक)	30,000/- रु.
3.	विकलांगता(स्थायी)	75,000/- रु.
4.	विकलांगता (आंशिक)	37,500/- रु.
5.	शैक्षणिक लाभ (शिक्षा सहयोग योजना)	खादी कारीगर के दो बच्चे जो आईटीआई सहित कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं, वे प्रति तिमाही 300 रुपये की छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

भारत सरकार ने आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) और जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) की सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को विलय कर दिया और दिनांक 01/01/2013 से विलय की गई स्कीम का नाम बदलकर आम आदमी बीमा योजना कर दिया। इसलिए वर्ष 2013 में जेबीवाई बंद हो गई। संचयी आधार पर, वर्ष 2003-2004 से 2013-14 तक तमिलनाडु राज्य में जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत 99815 कारीगरों को लाभ दिया गया।

*****